CDood 1 ...

भूमि व जल ... उत्तराखण्ड
पंजी० स० 769
पत्रावली ...
दिनांक 8/8/08

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025
दिनांक 07.08.2008

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 01 / 107 / 2008 / एफ0सी0 / 981

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः जनपद उत्तरकाशी देहरादून के अन्तर्गत हमोल–टयूणी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु 0.759 हे0 वन भूमि का सनफ्लैग पावर कार्पोरेशन को 10 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

सन्दर्भः नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 381 / 1जी–2284 (उत्तरकाशी), दिनॉक 24 / 07 / 2008 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र 2959 / 1जी–2284 (उत्तरकाशी), दिनॉक 26 / 04 / 2008 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.05.08 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। नाभिक अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार **जनपद उत्तरकाशी देहरादून के अन्तर्गत हमोल–टयूणी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु 0.759 हे0 वन भूमि का सनफ्लैग पावर कार्पोरेशन को 10 वर्षों की लीज पर** दिये जाने एवं 9 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 90 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं रखरखाव कियाय जायेगा।
4. पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1594, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
10. न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का पातन किया जायेगा।
11. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग / प्राधिकरण किया जाएगा और वन पदार्थ की विधिवत् बिकी से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों / राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोल, उत्तरकाशी।
4. उप प्रबन्धक, सनफ्लैग पावर कार्पोरेशन लि0 1–ए, चकराता रोड, देहरादून।
5. आदेश पत्रावली ।

7/8/08

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)